[2018] 1 एस. सी. आर 502

आय कर आयुक्त 5 मुंबई

वी.

एम/एस। एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। इसके माध्यम से यह प्रबंधक है

(2012 की सिविल अपील सं. 2165)

31 जनवरी, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

आयकर नियम, 1962 - आर. 8 डी-कहा गया नियम

चार्जिंग सेक्शन को प्रभावी बनाने के लिए मशीनरी, अर्थात आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (2) और (3)-संचालन की प्रकृति अपीलार्थी की संभावित या पूर्वव्यापी याचिका-वह राजस्व जो अनुभाग से शुल्क लेता है अर्थात s.14A पूर्वव्यापी होने के कारण, मशीनरी

प्रावधान, अर्थात। आर. 8 डी को पूर्वव्यापी भी होना चाहिए-आयोजितः एस के प्रावधान। 14 वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा अंतःस्थापित ए, बिना किसी कार्य के पूरी तरह से व्यवहार्य था।

डीटीडी। 28.12.2006 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी किया गया स्वयं ने भी उप-धाराओं (2) और (3) का प्रावधान किया। 14 ए होना था

कार्यान्वित डब्ल्यू. ई. एफ. 2007-08-इसके अलावा, आर. 8 डी. को 1962 के नियमों में अधिसूचना डी. टी. डी. द्वारा जोड़ा गया था। 24.03.2008 यह दर्शाता है कि नई विधि

बशर्ते कि व्यय की गणना के लिए निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए उपयोग किया जाना था और उसके बाद कोई नहीं है

राजकोषीय कानून की पूर्वव्यापीता की व्याख्या करना और इस पर गौर करना उप-एस की प्रकृति और उद्देश्य। (2) और (3) एस। 14 ए और साथ ही उद्देश्य

और आर का इरादा। 8 डी में व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ

वित्त विधेयक, 2006 और विभागीय समझ के रूप में

सर्कुलर दिनांक 28.12.2006 द्वारा प्रतिबिंबित, यह स्पष्ट है कि r। 8 डी था।

संभावित रूप से कार्य करने का इरादा-क़ानूनों की व्याख्या

-

आयकर अधिनियम, 1961-वित्त अधिनियम, 2001-वित्त अधिनियम, 2006 - आयकर (14 वां संशोधन नियम, 2016)-परिपत्र/अधिसूचनाएँ

परिपत्र सं. 14/2006 dtd। 28.12.2006 .

502 सी. आई. टी 5 मुंबई बनाम एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है

क़ानूनों की व्याख्या-संचालन की प्रकृति-संभावित या पूर्वव्यापी-आयोजित: प्रत्येक कानून प्रथम दृष्टया संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं किया जाता है-हालांकि, केवल वैधानिक प्रवर्तन की तारीख।

प्रावधान इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते हैं कि क़ानून प्रकृति में संभावित है।

मैक्सिम्स-"नोवा कॉन्स्टीटचूशियो फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनेरे डेबेट नॉन प्रेरेटेराइटिस"-एक की संभावना की धारणा का सिद्धांत

कानून पर चर्चा की गई।

क़ानूनों की व्याख्या-एक कर कानून का मशीनरी प्रावधान-संभावित या पूर्वव्यापी-आयोजित: की प्रयोज्यता मशीनरी का प्रावधान चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, वैधानिक योजना की सामग्री और प्रकृति पर निर्भर करता है।

राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. विधायिका के पास उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों के भीतर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है, यह संभावित रूप से कानून बना सकती है।

साथ ही पूर्वव्यापी भी। यह वैधानिक निर्माण का एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्टया संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थों द्वारा नहीं किया जाता है।

पूर्वव्यापी संचालन। कानूनी मैक्सिम "नोवा कांस्टीटचूशियो फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनेरे डिबेट नॉन प्रेरेटेराइटिस", अर्थात "एक नए कानून को विनियमित करना चाहिए कि अतीत का क्या पालन करना है, न कि अतीत", में एक क़ानून की संभावना के अनुमान का सिद्धांत होता है। [पैरा 23] [516-डी-ई]

" सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत "14 वां संस्करण,

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा अध्याय 6 में-जिस पर भरोसा किया गया था।

2.1 उप-धारा (2) और (3) को वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 ए में जोड़ा गया था। द.

छूट प्राप्त आय के संबंध में व्यय आवंटन के तरीकों के संदर्भ में वित्त विधेयक, 2006 में प्रावधान की व्याख्या करते हुए ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संशोधन किए गए हैं।

वित्त विधेयक, 2006 द्वारा धारा 14 ए में उप-धारा (2) और (3) को सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सर्कुलर दिनांक 1 जारी किया गया था। [पैरा 28,30] [522-एफ-जी; 523-एफ] 2.2 आयकर नियम, 1962 को अधिसूचना दिनांक 24.03.2008 द्वारा संशोधित किया गया था जिसके द्वारा नियम 8D जोड़ा गया था।

व्यय की राशि निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली

कुल आय में शामिल नहीं की जाने वाली आय का जोड़ पहली बार नियम 8 डी द्वारा निर्धारित किया गया था जैसा कि धारा 14 ए उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में परिकल्पना की गई थी। [पैरा 21,31] [515-ए; 523 जी-एच]

आयकर आयुक्त (केंद्रीय-1 नया

दिल्ली) वी. वाटिका टाउनशिप प्रा. लि. लिमिटेड 2015 (1) एस. सी. सी. 1:

[2014] 12 इसके बाद एस. सी. आर. 1037 आया।

उस विभाग ने समझा कि उप-धारा (2) और उप-धारा (3) को निर्धारण वर्ष 2007-2008 से लागू किया जाना था। निर्धारण वर्ष से उप-धारा (2) और उप-धारा (3) को लागू करने के लिए विधि निर्धारित करने वाले नियम 8 डी को क़ानून पुस्तिका में लाया गया था, जो इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि व्यय की गणना करने के लिए एक नई विधि उन नियमों द्वारा लाई गई थी जिनका उपयोग मूल्यांकन वर्ष (आईडी2) और उसके बाद के लिए व्यय की गणना के लिए किया जाना था। [पैरा 32] [524-बी-सी] 3.1 जब वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा धारा 14 ए को जोड़ा गया था, तो यह 01.04.1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ था, जबकि

वित्त अधिनियम, 2006, जिसके द्वारा धारा 14 ए की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) को जोड़ा गया था, यह 01.04.2006 से प्रभावी था। जिसका उल्लेख वित्त अधिनियम, 2006 के खंड 1 (2) में किया गया था। हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल प्रवर्तन की तारीख

वैधानिक प्रावधान यह निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि क़ानून है

3.2 धारा 14 ए को वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा जोड़ा गया था और प्रावधान बिना किसी तंत्र के पूरी तरह से व्यवहार्य थे। व्यय की गणना के लिए प्रावधान। यद्यपि धारा 14 ए को 01.04.1962 से प्रभावी बना दिया गया था, लेकिन वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा तुरंत प्रावधान जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि धारा 14 ए निर्धारण अधिकारी को धारा के तहत पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं देगी।

147 1961 के अधिनियम का या मूल्यांकन को बढ़ाने या पहले से किए गए धनवापसी को कम करने या अन्यथा सी. आई. टी. 5 मुंबई को बढ़ाने का आदेश पारित करना।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है

1961 के अधिनियम की धारा 154 के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती का दायित्व, जो 01.04.2001 से पहले या उससे पहले शुरू होता है। इस प्रकार,

01.04.2001 से पहले किए गए सभी लेन-देनों को अंतिम बना दिया गया था और उन्हें फिर से खोलने की अनुमति नहीं थी। [पैरा 35] [525-ए-सी] 4. एक कराधान कानून के मशीनरी प्रावधान को इसके प्रकट उद्देश्यों को प्रभावी बनाना होगा। लेकिन मशीनरी की प्रयोज्यता

प्रावधान चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, इस पर निर्भर करता है

वैधानिक योजना की विषय-वस्तु और प्रकृति। [पैरा 43] [529-बी सी]

आयकर आयुक्त-III v. कलकत्ता निटवियर,

लुधियाना (2014) 6 एससीसी 444-विशिष्ट।

5.1 नियम 8डी को फिर से आयकर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2016 डब्ल्यू. ई. एफ. 02.06.2016 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा नियम 8डी

उपनियम (2) को एक नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। खर्च की राशि निर्धारित करने की विधि लागू की गई।

24.03.2008 यदि अनुमति दे दी गई है और एक नई विधि डब्ल्यू. ई. एफ. से लागू की गई है, तो नियम 8डी पूर्वव्यापी की व्याख्या करके, 5वें और 14वें संशोधन नियमों की प्रयोज्यता में टकराव होगा जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नियम का एक संभावित संचालन है, जिसे एक अन्य पद्धति अपनाकर संभावित रूप से बदल दिया गया है। [पारस 45,46] [530-ई-एच; 531-ए बी] 5.2 नियम 8डी के तहत प्रदान की गई कार्यप्रणाली न तो गणना का एक प्रसिद्ध और न ही व्यवस्थित तरीका था। गणना का नया तरीका नियम 8डी द्वारा लाया गया था। कोई भी मूल्यांकन अधिकारी, अपनी कल्पना में भी उस कार्यप्रणाली को लागू नहीं कर सकता था, जिसे नियम 8डी द्वारा लागू किया गया था। नियम 8डी में इस प्रभाव का कोई संकेत नहीं है कि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का इरादा था। राजकोषीय कानून की पूर्वव्यापीता की व्याख्या करने के लिए वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करना और धारा 14ए की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) की प्रकृति और उद्देश्य के साथ-साथ नियम 8डी के उद्देश्य और आशय को देखना।

28.12.2006 , यह स्पष्ट है कि नियम 8डी का उद्देश्य संभावित रूप से काम करना था। यह माना जाता है कि नियम 8डी संभावित है और हो सकता है मूल्यांकन [2018] 1 एस. सी. से पहले किसी भी मूल्यांकन वर्ष में लागू नहीं किया गया है।

2008-09 . [पारस 39,48 और 50] [526-एफ-जी; 531-जी-एच; 532

गोदरेज बॉयस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम

आय कर उपायुक्त, मुंबई और अन्र।

कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड (2008) 9 एस. सी. सी. 622: [2008] 12 एस. सी. आर. 17 9; धन कर आयुक्त,

मेरठ बनाम। शरवन कुमार स्वरूप एंड संस (1994) 6 एस. सी. सी.

623 : [1994] 3 पूरक। एससीआर 750-विशिष्ट।

गोविंद दास और अन्य बनाम। आयकर अधिकारी और

दूसरा (1976) 1 एस. सी. सी. 906: [1976] 3 एस. सी. आर. 44; जयम

और कंपनी वी। सहायक आयुक्त और अन्य। (2016) 15 एससीसी 125: [2016] 6 एस. सी. आर. 787 पर भरोसा किया।

गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम।

आयकर उपायुक्त, मुंबई और एक और (2017) 7 एस. सी. सी. 421; झारखंड राज्य और अन्य।

वी. शिव धर्मपाल साहू (2009) 11 एस. सी. सी. 453-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[1976] 3 एससीआर 44

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[2014] 12 एससीआर 1037

पैरा 26

पीछा किया।

[2016] 6 एससीआर 787

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

पैरा 37

[1994] 3 पूरक। एससीआर 750

प्रतिष्ठित

विशिष्ट पैरा 40

[2008] 12 एस. सी. आर. 17

विशिष्ट पैरा 42

(2014) 6 एस. सी. सी. 444

(2009) 11 एससीसी 453

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

(2017) 7 एस. सी. सी. 421

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

मंजूरी मिल गई।

(2010) 328 आई. टी. आर. 81 (बम)

पैरा 49

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2

12 .

उच्च न्यायालय के 12.09.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के आई. टी. ए. (एल) सं. 947 में बॉम्बे में चित्र।

सी. आई. टी 5 मुंबई बनाम एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है

के साथ

सी. ए. सं. 1429 , 1430-1432 , 1433 , 1434 , 1435 , 1436 , 1437 , 1438 , 1439 , 1440 , 1441 , 1442 , 1443 , 1444 , 1445 , 1446 , 1460 और 2018 का 1461

2015 का सी. ए. सं. 117,118,6727,119,116,194,114,120,121,122,128,113,126,124,129,125 ,127,3355,3359,3781,3358,6294,7892,9251,9252 और 14525

2012 का सी. ए. सं. 5101,7395,7394,7797,7426,8195 और 8800

2013 की सी. ए. संख्या 381,3273,1101,6313,6733,6191,8921,6192,7167,8376,7172,7170,918 3,8341,7168,8256,7171,7974,8342,7173,8933,8909,9832,9833 और 9184

2016 का सी. ए. सं. 8178,8177,3279,5044,5417 और 6019, 2017 का सी. ए. सं. 4539

के. राधाकृष्णन, शशांक अध्यारू, एस. के. बगारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता।

रामेश्वर प्रसाद गोयल, ब्रजेश कुमार, सुश्री कविता झा, अरिजीत प्रसाद, रुपेश कुमार, डी. एल. चिदानंद, सुश्री साधना संधू, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री रेखा पांडे, श्रीमती अनिल कटियार, एच. आर. राव, मनीष पुष्करना, रितेश कुमार, सत्येन सेठी, आरती त्राना पांडा, रजत नवेत, सुश्री सान्या तलवार, के. पंडित, प्रदीप कुमार बख्शी, महेश अग्रवाल, के. अजीत, सुश्री पारुल शुक्ला, राजेश कुमार, सयारी बसु मलिक, राघव पांडे, ई. सी. अग्रवाल, कमल साहनी, प्रशांत मेहरचंदानी, शिखर गर्ग, सुश्री पूजा धर, खेतान एंड कंपनी, राजीव त्यागी, मिहिर अशोक मोदी, सुधांशु सिक्का, मेसर्स। के. अशर और

कंपनी, मुनव्वर नसीम, डॉ. शाश्वत बाजपेयी, शरद अग्रवाल, वी. एन. रघुपति, रंजीत बी. राउत, सुश्री सुरभी कपूर, श्रीमती बीना गुप्ता, सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी, एन. ए. उस्मानी, सलिल कपूर, सुमित

लालचंदानी, सनत कपूर, सुश्री अनन्या कपूर, सुश्री सौम्या सिंह, किसलया पाराशर, प्रवीण स्वरूप, अजय अग्रवाल, सुश्री मल्लिका जोशी, राजन नारायण, एस वासुदेवन, सौरभ सूद, शशांक एस., आदित्य भट्टाचार्य, विक्टर दास, सुश्री अपेक्षा मेहता, पुनीत दत्त त्यागी, डॉ. राकेश गुप्ता, अंभोज कुमार सिन्हा, सुश्री मोनिका घई, बी. एस. बंथिया, सिमरान मेहता, सुश्री अरुणा गुप्ता, नवीन कुमार, जगदीश कुमार। चावला, रुस्तम बी. हाथीखानावाला, बिमल रॉय जाड, स्वामी नाथ, एन. जी. देव, सुश्री वितिका गर्ग, विजय कुमार, सुश्री विदुषी गर्ग, राजेश महना, भार्गव वी. देसाई, एस.

गौतम, अशोक माथुर, बीरेंद्र कुमार मिश्रा, विवेक जैन, श्रीमती शाली भसीन, अजय शर्मा, चंद्र प्रकाश, अल्जो के. जोसेफ, मयंक नागी, तरुण सिंह, शेखर प्रीत झा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

[2018] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. डिले कॉन्डनड। छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील जब कई अपीलों के साथ 16.11.2016 पर सुनी गई, तो इस न्यायालय ने देखा कि मामलों के समूह में, चार प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। जिन मामलों का वर्तमान बैच सिविल अपील संख्या 2165 एक प्रमुख मामला है, वह केवल प्रश्न संख्या 2 से संबंधित है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" क्या 01.04.2007 से प्रभावी धारा 14 ए की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) सभी लंबित मामलों पर लागू होगी।

मूल्यांकन?

क्या नियम 8 डी पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है?

3. केवल कानून के प्रश्न से ऊपर उठाने वाली इन सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। के लिए

इन सभी अपीलों का निर्णय करते हुए, 2012 की सिविल अपील संख्या 2165 में तथ्यों और कार्यवाहियों को संदर्भित करना पर्याप्त होगा।

तथ्य 2012 की सिविल अपील सं. 2165

कर योग्य और गैर-कर योग्य लाभांश आय दोनों की प्राप्ति। तदनुसार, धारा 10 (23 जी) के तहत छूट प्राप्त निवेश पर लाभांश पर एओ द्वारा यू/S.14A को अस्वीकार करने के उद्देश्य से विचार किया गया था। इसलिए, निवेश से संबंधित आनुपातिक ब्याज जिस पर यू / एस. 10 (23 जी) कार्यशील राशि के अनुसार उपलब्ध है Rs.26 करोड़ को यू/S.14A आर. डब्ल्यू. एस. की अनुमति नहीं दी गई थी। आई. टी. अधिनियम का 10 (23 जी)।

सी. आई. टी 5 मुंबई बनाम एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

5. निर्धारिती ने एक अपील दायर की, जिसे आंशिक रूप से 05.03.2009 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की। आई. टी. ए. टी. ने बंबई उच्च न्यायालय पर भरोसा करते हुए निर्धारिती की अपील की अनुमति दी।

गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अदालत का फैसला

सीमित बनाम आयकर उपायुक्त, मुम्बाबी और एक अन्य। , (2010) 328 आई. टी. आर. 81 (बम.) में सूचित किया गया। आई. टी. ए. टी. ने माना कि नियम 8 डी केवल संभावित है और विचाराधीन वर्ष में नियम 8 डी लागू नहीं था। आई. टी. ए. टी. ने सी. आई. टी. (ए) के आदेश को दरकिनार कर दिया और नियम 8 डी के प्रावधानों को लागू किए बिना इस मुद्दे को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निर्धारण अधिकारी की फाइल में वापस कर दिया। आई. टी. ए. टी. के आदेश के खिलाफ राजस्व ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त, मुंबई और अन्र के अपने पहले के फैसले के बाद। (ऊपर) अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित आयकर आयुक्त इस अपील में सामने आए हैं।

6. अपील में, एकमात्र प्रश्न, जिसे हमारे विचार के लिए दबाया गया है, वह पहला प्रश्न है, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। न्यायालय, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानूनी रूप से, माननीय आई. टी. ए. टी. का यह मानना सही है कि नियम 8 डी की प्रयोज्यता केवल संचालन में और मूल्यांकन के तहत वर्ष के लिए संभावित है।

क्या यह लागू नहीं था?

7. इस प्रकार, अपीलों के इस समूह में, विचार करने और उत्तर देने के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आयकर नियमों का नियम 8 डी है

उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित संचालन में संभावित या यह संचालन में पूर्वव्यापी है और राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिए गए प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष में भी लागू होगा।

8. हमने सुना है कि वरिष्ठ वकील श्री शशांक अध्यारू, अपीलार्थी श्री एस. के. बागरिया के विद्वान वकील श्री अरिजीत प्रसाद,

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय वोहरा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विद्वान अधिवक्ताओं को अपीलों के इस समूह में विभिन्न कर निर्धारकों के लिए सुना गया है।

" प्रस्तुतियाँ "

9. अपीलार्थी (राजस्व) के विद्वान वकील का कहना है कि धारा 14 ए के प्रावधान स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के हैं और नियम 8 डी एक [2018] 1 एस. सी. आर. है।

प्रक्रियात्मक प्रावधान जो उप-धारा (2) और (3), नियम 8डी के कार्यान्वयन के लिए केवल एक तंत्र प्रदान करता है, प्रकृति में पूर्वव्यापी है। जिन मशीनरी प्रावधानों के द्वारा चार्जिंग सेक्शन को लागू किया जाना है या व्यवहार्य है, उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना है, जो मुख्य चार्जिंग प्रावधान के संचालन की अवधि के साथ सह-समाप्ति है। आरोप लगाने वाली धारा अर्थात धारा 14ए पूर्वव्यापी होने के कारण, मशीनरी प्रावधान, अर्थात नियम 8डी को भी पूर्वव्यापी होना चाहिए।

10. राजस्व के लिए विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा है, अर्थात, धन कर आयुक्त, मेरठ बनाम। शरवन कुमार स्वरूप एंड संस (1994) 6 एस. सी. सी. 623;

आयकर आयुक्त I, अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड, (2008) 9 एस. सी. सी. 622 और आयकर आयुक्त-III बनाम कलकत्ता निटवियर, लुधियाना, (2014) 6 एस. सी. सी. 444।

11. श्री एस. के. बागरिया, निर्धारिती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने राजस्व के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का खंडन किया।

यह तर्क देता है कि नियम 8डी के प्रावधान केवल संभावित प्रकृति के हैं। वह प्रस्तुत करता है कि जब एक नया दायित्व एक वैधानिक प्रावधान द्वारा लगाया जाता है तो वह पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि नियम 8डी द्वारा जोड़े गए प्रावधान व्यय की गणना के लिए नए प्रावधान हैं जो किसी भी तरह से पूर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम 8डी को खंड 2 में प्रावधान करते हुए पांचवें संशोधन नियम, 2008 द्वारा लागू किया गया था, अर्थात "वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे"। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने धारा 14ए की उप-धाराओं (2) और (3) के प्रावधान के सार को समझाते हुए अपने परिपत्र दिनांक आई. डी. 1 के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उपरोक्त प्रावधान निर्धारण वर्ष 2007-2008 से लागू होने थे। इसलिए, नियम 8डी, जो उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है, मूल्यांकन वर्ष 2007-2008 से पहले की किसी भी तारीख से संचालित नहीं हो सकता है।

12. निर्धारिती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अजय वोहरा ने कहा कि नियम 8डी को आयकर (14वां) द्वारा संशोधित किया गया है।

संशोधन नियम, 2016) डब्ल्यू. ई. एफ. 02.06.2016 जिसके द्वारा आय के संबंध में व्यय की गणना करने की एक नई पद्धति लाई गई है जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। घटना में, तर्क

यह स्वीकार किया जाता है कि नियम 8डी पूर्वव्यापी है, कौन सा नियम इस क्षेत्र को धारण करेगा, चाहे नियम 8डी को डब्ल्यू. ई. एफ. 24.03.2008 के रूप में डाला गया हो या जिसे डब्ल्यू. ई. एफ.

02.06.2016 के स्थान पर रखा गया हो? संशोधन ने डब्ल्यू. ई. एफ. 02.06.2016 सी. आई. टी. 5 मुंबई बनाम।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

यह इस बात को पुष्ट करता है कि आय के संबंध में व्यय की गणना करने की पद्धति जो कुल आय का हिस्सा नहीं है, संभावित है।

पूर्वव्यापी प्रभाव। निर्धारिती के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिन्हें प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा। 13. 2016 के एस. एल. पी. (सी) 16185 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एस. एस. एच. रिज़वी ने प्रस्तुत किया कि राजस्व पहले ही आई. टी. ए. टी. के समक्ष सहमत हो चुका है कि गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (उपरोक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में मामले को नए निर्णय के लिए निर्धारण अधिकारी को भेजा जाए, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि

उच्च न्यायालय ने गोदरेज और बॉयस में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए राजस्व की अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

विनिर्माण कंपनी (उपरोक्त) ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था। श्री रिज़वी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में कोई अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए राजस्व ने बिना किसी आधार के यह विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान

14. नियम 8 डी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 ए उप-धारा (2) और (3) (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। नियम 8 डी की प्रकृति और उद्देश्य को सही ढंग से समझने से पहले धारा 14 ए द्वारा चित्रित वैधानिक योजना को समझना होगा। धारा 14 ए को पहली बार वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1962 के साथ जोड़ा गया था। धारा 14 ए, जैसा कि मूल रूप से अंत:स्थापित किया गया था, निम्नानुसार है:

" 14 ए. आय के संबंध में किया गया व्यय जो कुल आय में शामिल नहीं है। — इस अध्याय के तहत कुल आय की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती द्वारा की गई आय के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है।

15. जिस उद्देश्य के लिए धारा 14 ए को पेश किया गया था, वह वित्त विधेयक, 2001 के साथ जारी स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में दिया गया था, जिसमें कहा गया है:

" कुल आय की गणना करते समय कुछ आय शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट दी गई है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ऐसी छूट वाली आय के संबंध में कटौती का दावा किया गया है। इसका मतलब यह है कि आय की कुछ श्रेणियों को छूट के रूप में दिए गए कर प्रोत्साहन का उपयोग कर योग्य आय के खिलाफ छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए खर्चों को काटकर गैर-छूट प्राप्त आय पर देय कर को कम करने के लिए किया जा रहा है। यह कराधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है जिसमें केवल शुद्ध आय, यानी सकल आय को घटाकर व्यय पर कर लगाया जाता है। इसी सादृश्य पर, छूट शुद्ध आय के संबंध में भी है। खर्चों की अनुमति केवल उस सीमा तक दी जा सकती है जब वे कर योग्य आय की कमाई से संबंधित हों। आय-कर अधिनियम, 1961 की स्थापना के बाद से विधानमंडल के इरादे को स्पष्ट करने के लिए एक नई धारा 14 ए को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आय जो आय-कर अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 1962 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निम्नलिखित में लागू होगाः

निर्धारण वर्ष 1962-1963 और उसके बाद के संबंध में मूल्यांकन वर्ष "।

16. धारा 14 ए डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1962 के संचालन में पूर्वव्यापी होने के कारण, जिसका उपयोग मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए किया जाता है, प्रवेश प्रत्यक्ष कर बोर्ड 2001 के परिपत्र 11 दिनांक 23.07.2001 के माध्यम से एक स्पष्टीकरण के साथ आया। परिपत्र के पैरा 4 में कहा गया है कि

वीएसः

" बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया है और इसके द्वारा निर्देश दिया है कि जिन आकलनों में कार्यवाही पहले अंतिम हो चुकी है अधिनियम की धारा 147 के तहत छूट अर्जित करने के लिए किए गए खर्च को अस्वीकार करने के लिए अप्रैल, 2001 के पहले दिन को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए।

नव अंतःस्थापित धारा 14 ए के प्रावधानों को लागू करके आय

अधिनियम "।

17. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 14 ए में परंतुक का एक वैधानिक प्रावधान भी जोड़ा गया था। परिपत्र द्वारा जो स्पष्ट किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रभाव के लिए परंतुक में वैधानिक रूप से संलग्न किया गया हैः

" बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी टी 5 मुंबई v को सशक्त नहीं बनाएगा।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

निर्धारण अधिकारी या तो धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन करेगा या निर्धारण को बढ़ाने या पहले से किए गए धनवापसी को कम करने या अन्यथा धारा 154 के तहत निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का आदेश पारित करेगा।

अप्रैल, 2001 का पहला दिन।

18. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा, धारा 14ए को (1) पर उप के रूप में क्रमांकित किया गया था और उप-धारा (1) के बाद उप-धारा (2) और (3) को निम्नलिखित प्रभाव के लिए डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2007 कर दिया गया था:

" (2) निर्धारण अधिकारी राशि निर्धारित करेगा -

ऐसी आय के संबंध में किया गया व्यय जो इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है, ऐसी विधि के अनुसार जो निर्धारित की जाए, यदि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती के खातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों के संबंध में निर्धारिती के दावे की शुद्धता से संतुष्ट नहीं है। आय के संबंध में व्यय जो आय का हिस्सा नहीं है

इस अधिनियम के तहत कुल आय।

(3) उप-धारा (2) के प्रावधान उस मामले के संबंध में भी लागू होंगे जहां कोई निर्धारिती दावा करता है कि कोई व्यय नहीं किया गया है।

आय के संबंध में उसके द्वारा किया गया व्यय जो इसका हिस्सा नहीं है

इस अधिनियम के तहत कुल आय।

19. वित्त विधेयक, 2006 में छूट के संबंध में व्यय आवंटन के तरीके के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन।

निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है:

" उक्त धारा के मौजूदा प्रावधानों के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि कुल आय की गणना करने के उद्देश्यों के लिए, आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जो आय का हिस्सा नहीं है।

आय-कर अधिनियम के तहत कुल आय।

उक्त धारा को उसकी उप-धारा (1) के रूप में क्रमांकित करने और उक्त धारा में एक नई उप-धारा (2) डालने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी ऐसी आय के संबंध में किए गए व्यय की राशि का निर्धारण करेगा जो

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित की गई विधि के अनुसार कुल आय का हिस्सा,

यदि निर्धारण अधिकारी के खातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती, [2018] 1 एस. सी. आर. के दावे की शुद्धता से संतुष्ट नहीं है।

आय के संबंध में व्यय के संबंध में निर्धारिती जो

यह कुल आय का हिस्सा नहीं है। यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि उप-धारा (2) के प्रावधान भी लागू होंगे -

मामला जहाँ एक निर्धारिती दावा करता है कि कोई व्यय नहीं किया गया है

आय के संबंध में उसके द्वारा किया गया व्यय जो इसका हिस्सा नहीं है

कुल आय।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2007-08 और उसके बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा।

20. वित्त अधिनियम द्वारा धारा 14ए में किए गए परिवर्तनों के बाद, एक परिपत्र संख्या 14/2006 दिनांकित 28.12.2006 जारी किया गया था, जिसमें परिपत्र के पैरा में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया था:

" 11.1 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के तहत कुल आय की गणना करने के उद्देश्यों के लिए, व्यय के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह आय-कर अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा है। हालांकि, धारा 14ए के मौजूदा प्रावधानों में, आय के संबंध में किए गए व्यय की गणना के लिए प्रावधान किया गया है जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। नतीजतन, करदाताओं के बीच काफी विवाद है

और विभाग इस तरह के निर्धारण की विधि पर व्यय।

तथापि, निर्धारण अधिकारी निर्धारित पद्धति का पालन करेगा यदि निर्धारिती के खातों को ध्यान में रखते हुए, वह निम्नलिखित के संबंध में निर्धारिती के दावे की शुद्धता से संतुष्ट नहीं है - आय के संबंध में व्यय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। उप-धारा (2) के प्रावधान उस मामले के संबंध में भी लागू होंगे जहां एक निर्धारिती यह दावा करता है कि उसके द्वारा आय के संबंध में कोई व्यय नहीं किया गया है जो

यह कुल आय का हिस्सा है।

टी 5 मुंबई बनाम। एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

11.3 प्रयोज्यता-मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के बाद से।

21. आयकर नियम, 1962 को दिनांकित अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था। 2008 जिसके द्वारा नियम 8 डी को निम्नलिखित प्रभाव से जोड़ा गया था:

" संबंध में व्यय की राशि निर्धारित करने की विधि

आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है।

8 डी (1) जहां निर्धारण अधिकारी, खातों को ध्यान में रखते हुए

पिछले वर्ष के निर्धारिती से संतुष्ट नहीं है -

(क) द्वारा किए गए व्यय के दावे की शुद्धता

निर्धारिती; या (ख) निर्धारिती द्वारा किया गया दावा कि कोई व्यय नहीं हुआ है।

खर्च किया गया

उप-नियम (2) के प्रावधान। (2) आय के संबंध में व्यय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित का कुल योग होगा:

राशियाँ, अर्थात्:

((i) आय से सीधे संबंधित व्यय की राशि जो

कुल आय का हिस्सा नहीं है;

((ii) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने पिछले वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में व्यय किया है, जो किसी विशेष आय या रसीद के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की गई राशि, अर्थात्:

बी.

एएक्स

सी.

जहाँ ए = खंड (i) में सम्मिलित ब्याज की राशि के अलावा ब्याज के रूप में व्यय की राशि

पिछले वर्ष;

बी = निवेश के मूल्य का औसत, जिससे आय होती है

पिछले वर्ष के पहले दिन और अंतिम दिन निर्धारिती की तुलनपत्र में दिखाई देने वाली कुल आय का हिस्सा नहीं है या नहीं होगा;

सी = शेष राशि [2018] 1 एस. सी. आर. में दिखाई देने वाली कुल परिसंपत्तियों का औसत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारिती का पत्रक, पहले दिन और अंतिम दिन

पिछले वर्ष;

((ग) निवेश के मूल्य के औसत के आधे प्रतिशत के बराबर राशि, जिससे आय कुल आय का हिस्सा नहीं है या नहीं बनेगी, जैसा कि निर्धारिती की तुलनपत्र में दिखाई देता है, पहले दिन और अंतिम दिन।

पिछले साल "।

3. इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'कुल परिसंपत्तियों' का अर्थ होगा, वृद्धि को छोड़कर तुलनपत्र में दिखाई देने वाली कुल परिसंपत्तियाँ।

परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण लेकिन परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण कमी सहित।

22. धारा 14 ए और नियम 8 डी की विधायी योजना को निर्धारित करने के बाद, अब हम विद्वानों द्वारा उठाए गए निवेदनों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

इस मुद्दे पर पक्षकारों के लिए परामर्श।

वैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत

23. विधायिका के पास उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों के भीतर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है, यह संभावित रूप से और साथ ही साथ कानून बना सकती है।

पीछे की ओर। यह वैधानिक निर्माण का एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्टया संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए किए गए आवश्यक निहितार्थ से न हो। कानूनी मैक्सिम "नोवा कॉन्स्टीटचूशियो फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनेरे डेबेट नॉन प्रेटेराइटिस", अर्थात "ए"

नए कानून को यह विनियमित करना चाहिए कि क्या करना है, न कि अतीत में, एक क़ानून की संभावना के अनुमान का सिद्धांत होना चाहिए।

24. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह "सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत" में

(14 संस्करण, अध्याय 6 में) राजकोषीय क़ानून के संचालन के बारे में बताते हुए वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में विस्तार से बताया गया है:

" देयता अधिरोपित करने वाला राजकोषीय कानून आम तौर पर शासित होता है।

सामान्य धारणा से कि यह पूर्वव्यापी नहीं है और यह कर कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि कानून लागू किया जाए

क्या वह निर्धारण वर्ष में लागू है जब तक कि अन्यथा न हो

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया गया। उपरोक्त

नियम प्रभार अनुभाग और अन्य मूल वस्तुओं पर लागू होता है।

दंड अधिरोपित करने वाला प्रावधान और करता है

कर लगाने की मशीनरी या प्रक्रियात्मक प्रावधानों पर लागू नहीं होता है।

अधिनियम जो आम तौर पर पूर्वव्यापी होते हैं और यहां तक कि लागू होते हैं

लंबित कार्यवाही। लेकिन एक प्रक्रियात्मक प्रावधान, जहाँ तक टी 5 मुंबई बनाम।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

संभव है कि कर निर्धारण की अंतिमता को प्रभावित करने या दायित्व को खोलने के लिए ऐसा नहीं समझा जाएगा जो वर्जित हो गया था। आकलन एक निहित अधिकार पैदा करता है और एक निर्धारिती को पुनर्मूल्यांकन के अधीन नहीं किया जा सकता है जब तक कि संशोधन द्वारा जोड़े गए उस प्रभाव का प्रावधान या तो स्पष्ट रूप से या

आवश्यक निहितार्थ पूर्वव्यापी। एक प्रावधान जो संदर्भ में पूर्वव्यापी है और जिसका दायित्व खोलने का प्रभाव है जो समय के अंतराल से बाधित हो गया था, सख्त निर्माण के नियम के अधीन होगा। स्पष्ट निहितार्थ के अभाव में इस तरह के कानून को स्पष्ट रूप से उल्लिखित की तुलना में अधिक पूर्वव्यापीता नहीं दी जाएगी और न ही इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि

आय-कर प्राधिकरणों को कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत करें जो नए अधिनियम के लागू होने से पहले, उस समय प्रदान की गई अवधि की समाप्ति तक वर्जित हो गया था। लेकिन असंदिग्ध भाषा को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, भले ही इसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन को फिर से खोला जाए जो समाप्ति के बाद अंतिम हो गया था।

उन्हें फिर से खोलने के लिए पहले की अवधि का प्रावधान किया गया था। कोई तय नहीं है

देने के विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए सूत्र

एक कराधान अधिनियम के लिए पूर्वव्यापीता।

25. 1976 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ (1) एस. सी. सी. 906, एन. डी. दास और अन्य बनाम आयकर अधिकारी और एक अन्य,पैराग्राफ में निम्नलिखित व्याख्या के तय किए गए नियमों को शामिल करना

" 11. अब यह समय द्वारा पवित्र और न्यायिक निर्णयों द्वारा पवित्र व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि, जब तक कि किसी क़ानून की शर्तें स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं करती हैं या आवश्यक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तब तक किसी क़ानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को छीन या बाधित किया जा सके या एक नया दायित्व बनाया जा सके या प्रक्रिया के मामलों के संबंध में अन्यथा एक नया दायित्व लागू किया जा सके। सामान्य नियम जैसा कि हैल्सबरी ने खंड में कहा है। 36 इंग्लैंड के कानूनों (तीसरा संस्करण) और इस न्यायालय के साथ-साथ अंग्रेजी न्यायालयों के कई फैसलों में दोहराया गया है कि

" उन कानूनों के अलावा अन्य सभी कानून जो केवल घोषणात्मक हैं या जो केवल प्रक्रिया या साक्षय के मामलों से संबंधित हैं प्रथम दृष्टया संभावित हैं "

और किसी क़ानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को प्रभावित किया जा सके, बदला जा सके या नष्ट किया जा सके या [2018] 1 एस. सी. आर. बनाया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट एक नया दायित्व या दायित्व जब तक कि उस प्रभाव को भाषा के साथ हिंसा किए बिना टाला नहीं जा सकता है

अधिनियमन। यदि अधिनियम को ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो किसी भी व्याख्या में काफी सक्षम है, तो इसे केवल संभावित के रूप में माना जाना चाहिए। अगर हम इस सिद्धांत को लागू करते हैं

व्याख्या के लिए, यह स्पष्ट है कि धारा 171 की उप-धारा (6) केवल उस स्थिति पर लागू होती है जहां एक हिंदू अविभाजित परिवार का मूल्यांकन नए अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के तहत पूरा किया जाता है। इसका कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।

जहाँ एक हिंदू अविभाजित परिवार का मूल्यांकन पुराने अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत पूरा किया जाता है। ऐसा मामला पुराने अधिनियम की धारा 25-ए द्वारा शासित होगा जो किसी भी व्यक्तिगत दायित्व को लागू नहीं करता है।

आंशिक विभाजन के मामले में सदस्यों पर और अर्थ लगाने के लिए

धारा 171 की उप-धारा (6), जो ऐसे मामले में लागू होती है, जिसमें सदस्यों के व्यक्तिगत दायित्व को, जो धारा 25-ए के तहत मौजूद नहीं था, हटाने के परिणामी प्रभाव के साथ, धारा 171 की उप-धारा (6) को पूर्वव्यापी संचालन देना होगा, जो स्पष्ट भाषा द्वारा भी आवश्यक नहीं है।

उस प्रावधान का या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। धारा 171 की उप-धारा (6) को व्याख्या करके पूर्ण प्रभाव दिया जा सकता है।

यह केवल उस मामले में लागू होता है जहां हिंदू अविभाजित परिवार का आकलन नए अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के तहत किया जाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते।

व्याख्या के नियम के अनुरूप जो किसी नए दायित्व या दायित्व को बनाने या लागू करने के प्रभाव वाले क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन से इनकार करता है, धारा 171 की उप-धारा (6) का अर्थ एक ऐसे मामले को अपनाना है जहां पुराने अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक हिंदू अविभाजित परिवार का आकलन किया जाता है। यहाँ वर्तमान मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार का निर्धारण वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए पुराने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया गया था जिसमें धारा 25-ए शामिल थी और इसलिए आयकर अधिकारी कर या उसके किसी भी हिस्से की वसूली के उद्देश्य से नए अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (7) के साथ पठित उप-धारा (6) में अधिनियमित प्रावधान का लाभ उठाने का हकदार नहीं था। याचिकाकर्ताओं सहित संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य से व्यक्तिगत रूप से। टी 5 मुंबई बनाम।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

26. इस अदालत की एक संविधान पीठ हम में से एक के माध्यम से बोल रही है,

आय आयुक्त के मामले में ustice A.K.Sikri मध्य-1 नई दिल्ली) बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, 2015 (1) 1 ने इस बात पर विचार करते हुए कि क्या कर अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2002 की धारा 113 में अंत:स्थापित प्रावधान संभावित है या स्पष्टीकरणात्मक है, पूर्वव्यापीता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर ध्यान दिया। अनुच्छेद 28,29 में संविधान पीठ द्वारा खंड निर्धारित किया गया था और

" 28. कानून की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न नियमों में से एक स्थापित नियम यह है कि जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक एक कानून को पूर्वव्यापी संचालन का इरादा नहीं माना जाता है। इस नियम के पीछे का विचार यह है कि एक वर्तमान कानून को वर्तमान गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए। आज पारित कानून अतीत की घटनाओं पर लागू नहीं हो सकता है। अगर हम आज कुछ करते हैं, तो हम उसे आज और लागू कानून को ध्यान में रखते हुए करते हैं, न कि कल के पिछड़े समायोजन को ध्यान में रखते हुए। कानून की प्रकृति में हमारा विश्वास इस आधार पर स्थापित है कि प्रत्येक मनुष्य को मौजूदा कानून पर भरोसा करके अपने मामलों को व्यवस्थित करने का अधिकार है और यह नहीं देखना चाहिए कि उसकी योजनाएं पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित हुई हैं। कानून के इस सिद्धांत को लेक्स प्रॉस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट के रूप में जाना जाता है: कानून आगे देखता है न कि पीछे। जैसा कि फिलिप्स वी में देखा गया था। आयर, एक पूर्वव्यापी कानून इस सामान्य सिद्धांत के विपरीत है कि जिस कानून के द्वारा मानव जाति के आचरण को विनियमित किया जाना है, जब भविष्य के कार्यों से निपटने के लिए पहली बार पेश किया जाता है, तो विश्वास पर किए गए पिछले लेनदेन के चरित्र को नहीं बदलना चाहिए।

तत्कालीन विद्यमान कानून।

29. पूर्वव्यापीता के खिलाफ सिद्धांत का स्पष्ट आधार

"निष्पक्षता" का सिद्धांत है, जो प्रत्येक कानूनी नियम का आधार होना चाहिए जैसा कि एल 'ऑफिस चेरिफ़ियन डेस में देखा गया था।

फॉस्फेट v. यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप कं. Ltd.7 इस प्रकार,

ऐसे विधान जो अर्जित अधिकारों को संशोधित करते हैं या जो दायित्वों को लागू करते हैं या नए कर्तव्यों को लागू करते हैं या एक नई अक्षमता को जोड़ते हैं, उन्हें संभावित के रूप में माना जाना चाहिए जब तक कि विधायी इरादा स्पष्ट रूप से अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए न हो; जब तक कि कानून किसी पूर्व कानून में स्पष्ट चूक प्रदान करने या पूर्व कानून की व्याख्या करने के उद्देश्य से न हो। हमें [2018] 1 एस. सी. आर. पर उपलब्ध केस लॉ के कॉर्नुकोपिया पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विषय क्योंकि उपरोक्त कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है

विभिन्न निर्णयों और इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया गया था

पक्षकारों के वकील द्वारा। किसी भी मामले में, हम उल्लेख करेंगे

इस उक्ति वाले कुछ निर्णय, थोड़ी देर बाद।

33. केशवलाल जेठालाल मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ शाह बनाम। मोहनलाल भगवानदास, प्रकृति पर विचार करते हुए

बॉम्बे रेंट, होटल की धारा 29 (2) में संशोधन और गुजरात द्वारा संशोधित आवास दर नियंत्रण अधिनियम

1965 का अधिनियम 18 निम्नलिखित रूप में मनाया गया: (एयर पी। 1339, पैरा 8)

" 8. संशोधन खंड किसी भी स्पष्टीकरण का प्रयास नहीं करता है

पूर्व-विद्यमान विधान जो अस्पष्ट या दोषपूर्ण था।

संशोधन संबंधी अधिकारिता का प्रयोग संशोधन से पहले किया गया था सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 से व्युत्पन्न,

और विधायिका ने संशोधन अधिनियम द्वारा प्रयास नहीं किया है

उस प्रावधान का अर्थ समझाने के लिए। एक व्याख्यात्मक

अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने के लिए पारित किया जाता है या

पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करने के लिए।

27. एक दो-न्यायाधीशों की पीठ, हम में से एक, डॉ. जस्टिस के माध्यम से बोल रही है। जयम एंड कंपनी में सीकरी बनाम सहायक आयुक्त और

(2016) 15 एस. सी. सी. 125 ने फिर से व्यापक कानूनी सिद्धांतों को दोहराया

पैराग्राफ 14 और 18 में एक पूर्वव्यापी क़ानून का परीक्षण करना जो है

प्रभाव को कम करना:

" 14. इसके साथ, आइए हम पूर्वव्यापीता पर मुद्दे का विज्ञापन करें। नहीं।

संदेह है, जब राजकोषीय कानून की बात आती है, तो विधायिका के पास है
प्रावधान को पूर्वव्यापी बनाने की शक्ति। आर. सी. तंबाकू में
(पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, इस न्यायालय ने व्यापक कानूनी बात कही
एक पूर्वव्यापी क़ानून का परीक्षण करते समय सिद्धांत, निम्नलिखित में
तरीका - (एससीसी पीपी। 737-38 & 740 , पैरा 21-22 & 28)

" ((i) किसी कानून को केवल अनुचित नहीं माना जा सकता है।
क्योंकि यह पूर्वव्यापी रूप से काम करता है;

i) अनुचितता किसी और में निहित होनी चाहिए।
अतिरिक्त कारक;

((iii) राजकोषीय क़ानून का पूर्वव्यापी संचालन।
अनुचित रूप से दमनकारी पाया जाना चाहिए और
जब्ती से पहले इसे अनुचित माना जा सकता है संवैधानिक
मानदंडों का उल्लंघन करना; टी 5 मुंबई बनाम।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

((iv) जहां कर कानून स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है।

या मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान नहीं करता है और

कर का उद्ग्रहण या जो ज़ब्त करने वाला है, अदालतों को विवादित क़ानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने के लिए उचित ठहराया जाएगा;

(v) अन्य कारक पूर्वव्यापीता की अवधि हैं

और अप्रत्याशित या अप्रत्याशित वित्तीय की डिग्री

पिछली अवधि के लिए लगाया गया बोझ;

(vi) समय की अवधि अपने आप में पूर्वव्यापीता को प्रभावित करने के लिए निर्णायक नहीं है। (जयम एंड कंपनी कैसल, एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड

पैरा 85)

18. राजकोषीय के पूर्वव्यापी संचालन का पूरा सरगम

इस न्यायालय द्वारा एक संविधान पीठ में कानूनों पर पुनर्विचार किया गया था

सी. आई. टी. बनाम में निर्णय। वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड निम्नलिखित में

तरीका - (एस. सी. सी पी. 24 , पैरा 33-35)

" 33. केशवलाल जेठालाल मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

शाह बनाम। मोहनलाल भगवानदास, प्रकृति पर विचार करते हुए

गुजरात द्वारा संशोधित बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट की धारा 29 (2) में संशोधन

1965 का अधिनियम 18 निम्नलिखित रूप में मनाया गया: (एयर पी। 1339, पैरा 8)

संशोधन खंड किसी भी स्पष्टीकरण का प्रयास नहीं करता है

' 8 .

पूर्व-विद्यमान विधान जो अस्पष्ट या दोषपूर्ण था।

उच्च न्यायालय की याचिका पर विचार करने की शक्ति

पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 से प्राप्त संशोधन से पहले किया गया था, और विधायिका ने संशोधन अधिनियम द्वारा उस प्रावधान के अर्थ को समझाने का प्रयास नहीं किया है। एक व्याख्यात्मक

अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने के लिए पारित किया जाता है या

पूर्ववर्ती अधिनियम के अर्थ के बारे में शंकाओं को दूर करना।

34. यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि मूल्यांकन

एक निहित अधिकार बनाता है और एक निर्धारिती के अधीन नहीं किया जा सकता है पुनर्मूल्यांकन जब तक कि उस प्रभाव के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है

संशोधन या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किया जाता है

पूर्वव्यापी। (सी. ई. डी. वी. देखें। एम. ए. मर्चेंट)

35. हम निम्नलिखित को भी यहाँ पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे:

गोविंद दास बनाम में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां।

आयकर अधिनियम की धारा 171 (6) को संभावित माना जाना

और 1-4-1962 से पहले किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू नहीं है,

आय कर अधिनियम लागू होने की तारीख: (एससीसी

पी। 914 , पैरा 11)

'11 . अब यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है

किसी कानून का स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान या आवश्यक रूप से इसकी आवश्यकता है, किसी कानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि

किसी मौजूदा अधिकार को छीनना या बाधित करना या एक नया अधिकार बनाना।

दायित्व या संबंध के अलावा एक नया दायित्व अधिरोपित करें प्रक्रिया के मामले। हैल्सबरी द्वारा बताए गए सामान्य नियम

खंड में। 36 इंग्लैंड के कानूनों का (तीसरा संस्करण) और में दोहराया गया

इस न्यायालय के साथ-साथ अंग्रेजी न्यायालयों के कई निर्णय हैं कि

" उन सभी कानूनों के अलावा जो केवल घोषणात्मक हैं

मौजूदा अधिकार या एक नया दायित्व या दायित्व बनाएँ जब तक कि उस प्रभाव को हिंसा किए बिना टाला नहीं जा सकता है

अधिनियम की भाषा। यदि अधिनियम में व्यक्त किया जाता है

ऐसी भाषा जो किसी भी व्याख्या में काफी सक्षम हो, यह

इसे केवल संभावित के रूप में माना जाना चाहिए।

28. उप-धारा (2) और उप-धारा (3) को वित्त अधिनियम, 2006 की धारा y में जोड़ा गया था। में प्रावधान की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

व्यय आबंटन के तरीकों के संदर्भ में सी. ई. विधेयक, 2006

ऊपर निकाली गई आय को छूट देने के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि

वित्त विधेयक, 2006 द्वारा लाए गए धन से प्रभावी होगा

. 2007 . ज्ञापन का अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित थाः

टीः

" यह संशोधन 01.04.2007 से प्रभावी होगा और होगा तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के संबंध में आवेदन करें और

बाद के वर्षों में

29. के आयुक्त में इस न्यायालय की संविधान पीठ

मुझे कर और ओआरएस। बनाम वाटिका टाउनशिप प्रा. लिमिटेड, (सुप्रा) ने वित्त विधेयक सी. आई. टी. 5 मुंबई v. में संलग्न खंड के टिप्पणियों पर विचार किया है।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

विधायी योजना की प्रकृति को समझना। अनुच्छेद 42.1 में संविधान पीठ ने इस प्रकार कहा:

" 42.1 . " वित्त विधेयक, 2002 के खंडों पर टिप्पणियों में प्रावधान को शामिल करने का प्रस्ताव करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

" यह संशोधन 1-6-2002 "से प्रभावी होगा। ये

**

विरोधाभासी रूप में देखने पर वे शिलालेख शब्द बन जाते हैं

विधायिका के स्पष्ट इरादे को दर्शाने वाला स्पष्टीकरणात्मक या पूर्वव्यापी। उन्हीं टिप्पणियों से यह देखा जा सकता है कि आयकर अधिनियम में कुछ अन्य संशोधन उसी वित्त अधिनियम द्वारा विशेष रूप से उन संशोधनों को करते हुए किए गए थे पूर्वव्यापी। उदाहरण के लिए, खंड 40 धारा 92-एफ में संशोधन करना चाहता है। धारा 92-एफ के खंड (iii-a) में संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त खंड में उल्लिखित गतिविधियों में शामिल हैं:

किसी अनुबंध के अनुसरण में किसी भी कार्य को पूरा करना "

(जोर दिया गया)। यह संशोधन प्रभावी होता है।

1-4-2002 से पूर्वव्यापी। विभिन्न अन्य संशोधन भी

पूर्वव्यापी रूप से होता है। खंडों पर टिप्पणियों से पता चलता है कि विधायिका तीन अवधारणाओं से पूरी तरह वाकिफ है:

(i) एक निश्चित तिथि से प्रभावी संभावित संशोधन;

((ii) एक निश्चित पूर्ववर्ती तिथि से प्रभावी पूर्वव्यापी संशोधन; और ((iii) स्पष्टीकरणात्मक संशोधन जो पूर्वव्यापी हैं।

प्रकृति "।

30. यह जानना भी प्रासंगिक है कि वैधानिक प्रावधान कैसे हैं।

धारा 14 ए की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के नियम 8 डी को आयकर विभाग ने ही समझा था। उप डालने के बाद

वित्त विधेयक, 2006 द्वारा धारा 14 ए में धारा (2) और उप-धारा (3), 28.12.2006 दिनांकित परिपत्र विभाग द्वारा जारी किया गया था जिसमें

पैराग्राफ 11.3 में निम्नलिखित कहा गया था:

" 11.3 . प्रयोज्यता-मूल्यांकन वर्ष 2007-2008 के बाद से।

31. कुल आय में शामिल नहीं की गई आय के अतिरिक्त व्यय की राशि निर्धारित करने की कार्यप्रणाली पहली बार नियम 8 डी द्वारा निर्धारित की गई थी जैसा कि धारा 14 ए उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में परिकल्पना की गई थी। यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि आयकर आयुक्त बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड की संविधान पीठ।

प्रावधान के संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की समझ का पता लगाने के लिए सीबीडीटी परिपत्र का भी उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है जो उपरोक्त मामले में मुद्दा था।

32. वित्त विधेयक, 2006 के साथ जारी स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन और सीबीडीटी परिपत्र दिनांक 28.12.2006, इस प्रकार स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि

विभाग ने समझा कि उप-धारा (2) और उप-धारा (3) को निर्धारण वर्ष 2007-2008 से लागू किया जाना था। उप-धारा (2) और उप-धारा (3) को निर्धारण वर्ष (2) से लागू करने के लिए विधि निर्धारित करने वाले नियम 8 डी को क़ानून पुस्तिका में लाया गया था, जो इस तथ्य का स्पष्ट संकेतक है कि व्यय की गणना के लिए एक नई विधि नियमों द्वारा लाई गई थी जिसका उपयोग व्यय की गणना के लिए किया जाना था

मूल्यांकन वर्ष 2008-2009 और उसके बाद।

33. जब वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा धारा 14 ए को जोड़ा गया था, तो यह 01.04.1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ था, जहां वित्त के रूप में

अधिनियम, 2006, जिसके द्वारा धारा 14 ए की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) को जोड़ा गया था, यह 01.04.2006 से प्रभावी था जिसका उल्लेख किया गया था।

वित्त अधिनियम, 2006 के खंड 1 (2) में जो निम्नलिखित प्रभाव से था:

" 1 (2) . इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, धारा 2 से 57 को 1 अप्रैल के दिन लागू माना जाएगा।

2006. "

नियम 8 डी जिसे अधिसूचना दिनांक 24.03.2008 द्वारा जोड़ा गया था।

नियम 1 उप-नियम (2) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 1. (1) इन नियमों को आय-कर कहा जा सकता है (पाँचवाँ

संशोधन) नियम, 2008।

(2) . वे अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

आधिकारिक राजपत्र "।

हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वैधानिक प्रावधानों को लागू करने की केवल तारीख यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि क़ानून में संभावित है प्रकृति। विधायी योजना और इसकी प्रकृति, प्रभाव और परिणाम का पता लगाने के लिए क़ानून की प्रकृति और विषय-वस्तु पर गौर किया जाना चाहिए।

कानून।

34. राजस्व के लिए वकील द्वारा जिन प्रस्तुतियों पर बहुत जोर दिया गया है, वे यह है कि अधिनियम की धारा 14ए में स्पष्टीकरणात्मक है प्रकृति जिसमें पूर्वव्यापी संचालन होता है, नियम 8डी, जो एक तंत्र है सी. आई. टी. 5 मुंबई v.

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

मशीनरी प्रावधानों को व्यवहार्य बनाने के लिए प्रावधानों को पूर्वव्यापी भी माना जाना चाहिए।

35. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 14ए को वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा जोड़ा गया था और प्रावधान उनके बिना पूरी तरह से व्यवहार्य थे। व्यय की गणना के लिए प्रदान किया गया कोई भी तंत्र। यद्यपि धारा 14ए को 01.04.1962 से प्रभावी बनाया गया था, लेकिन वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा तुरंत प्रावधान जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि धारा 14ए निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन करने या मूल्यांकन को बढ़ाने या पहले से किए गए धनवापसी को कम करने या अन्यथा धारा 154 के तहत करदाताओं के दायित्व को बढ़ाने का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं देगी। इस प्रकार सभी

01.04.2001 से पहले किए गए लेनदेन को अंतिम बना दिया गया था और उन्हें फिर से खोलने की अनुमति नहीं थी।

36. के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला स्पष्टीकरण ज्ञापन

वित्त अधिनियम, 2006 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि धारा 14 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) केवल निर्धारण वर्ष से प्रभावी होगी, जो एक अन्य संकेतक है कि प्रावधान को संभावित रूप से संचालित करने का इरादा था।

37. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भारी निर्भरता रखी है।

संपत्ति कर, मेरठ बनाम शरवन कुमार स्वरूप एंड संस, (1994) 6 एस. सी. सी. 623। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को धन कर, 1957 डब्ल्यू. ई. एफ. में अंत:स्थापित नियम 1-बी. बी. की व्याख्या करनी थी। मूल्यांकन वर्ष के लिए 1977-78 और 1978-79 मूल्यांकन आदेश 08.02.1983 पर पारित किया गया था, जिस समय तक नियम 1 बीबी को नियम में पेश किया गया था। निर्धारिती ने तर्क दिया कि नियम 1-बी. बी. को लागू करते हुए संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दावा खारिज कर दिया गया था और निर्धारण अधिकारी ने अचल संपत्ति का मूल्यांकन नियम 1-बीबी से स्वतंत्र रूप से किया था। 38. निर्धारिती द्वारा पसंद की गई अपील को अनुमति दी गई थी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष राजस्व की अपील भी खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राजस्व के खिलाफ प्रश्न का भी उत्तर दिया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष अपील में लिया गया था। इस न्यायालय ने "वैधानिक व्याख्या" के विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि "प्रक्रियात्मक कानून" आम तौर पर लंबित मामलों पर लागू होता है। नियम 1 बी. बी. की व्याख्या निम्नलिखित पैरा 23 और 25 में की गई थी:

" 23. अब हम नियम 1-बीबी के दायरे और विषय-वस्तु की ओर रुख कर सकते हैं। उक्त नियम केवल प्रसिद्ध में से एक विकल्प प्रदान करता है। और मूल्यांकन के सुव्यवस्थित तरीके। [2018] 1 एस. सी. आर. की अनुपस्थिति में भी।

नियम 1-बी. बी. नियम 1-बी. बी. में सन्निहित मूल्यांकन के तरीके, अर्थात् कई वर्षों की खरीद पर आय के पूंजीकरण के तरीके को अपनाना आपत्तिजनक नहीं होता और न ही इसमें कोई कानूनी बाधा होती।

मूल्य। इस नियम का उद्देश्य मूल्यांकन में एकरूपता प्रदान करना और इसके परिणामस्वरूप होने वाली अनिश्चितताओं और असमानताओं से बचना था।
विभिन्न मामलों में मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का अनुप्रयोग

जहाँ संपत्ति की प्रकृति समान है।
25. इस मामले पर विचार करने पर हम इस विचार से सहमत हैं कि नियम 1-बी. बी. अनिवार्य रूप से मूल्यांकन में एकरूपता प्राप्त करने और असमान मूल्यांकन से बचने की दृष्टि से कुछ प्रकार की संपत्तियों के संबंध में मूल्यांकन के अच्छी तरह से स्वीकृत तरीकों में से एक के चयन के बारे में साक्षय का नियम है।

समान प्रकृति और चरित्र के गुणों के संबंध में मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप। द.
हमारी राय में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को गलत नहीं कहा जा सकता है।

मूल्यांकन के तरीके। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम 1-बी. बी. के अभाव में भी, नियम 1-बी. बी. में सन्निहित मूल्यांकन के तरीके को अपनाना आपत्तिजनक नहीं होता, अर्थात् कई वर्षों के खरीदे गए मूल्य पर आय के पूंजीकरण का तरीका। उक्त निर्णय, स्पष्ट रूप से, उस मुद्दे के संदर्भ में अलग है जो हमारे सामने आया है। वर्तमान मामले में, नियम 8 डी के तहत प्रदान की गई कार्यप्रणाली न तो एक था गणना की अच्छी तरह से ज्ञात और न ही अच्छी तरह से स्थापित विधि। गणना का नया तरीका नियम 8 डी द्वारा लाया गया था। कोई भी मूल्यांकन अधिकारी, अपनी कल्पना में भी उस कार्यप्रणाली को लागू नहीं कर सकता था, जिसे नियम 8 डी द्वारा लागू किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बल पर नियम 8 डी के पूर्वव्यापी संचालन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

40. राजस्व द्वारा भरोसा किया गया अगला फैसला आयकर आयुक्त I, अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट है।

लिमिटेड, (2008) 9 एससीसी 622। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) (iii) में किए गए संशोधनों पर विचार किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसद ने इस स्थिति को स्पष्ट किया

अभिव्यक्ति "किसी भी" को "यदि कोई हो" से बदलना, जो एक मूल टी 5 मुंबई v नहीं था।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

पहली बार दंड बनाने के लिए। संशोधन के रूप में

"खंडों" के टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।

आरए 5 निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

" 5. यह इंगित किया गया है कि संशोधन से पहले, धारा 271 (1) (ग) (iii) निम्नानुसार पढ़े:

“ 271. (1) (ग) (ग) खंड (ग) में निर्दिष्ट मामलों में, इसके अतिरिक्त

उसके द्वारा देय किसी कर के लिए, एक राशि जो, लेकिन जो आय की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी

जिनके संबंध में विवरण छिपाए गए हैं या गलत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। "

यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रावधान को नंगे पढ़ने से

स्थिति स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं था कि आयकर अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए

निर्धारिती द्वारा अधिरोपित करने के लिए अनिवार्य रूप से देय होगा

दंड। "कोई भी" शब्द ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि जुर्माना किसी भी कर के अतिरिक्त था जिसका भुगतान किया जा सकता है

मूल्यांकनकर्ता। इसलिए, भले ही कोई कर देय न हो, जुर्माना देय था। यह उस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है कि इससे पहले भी

संशोधन का यह अर्थ नहीं पढ़ा जा सकता था कि यदि कोई कर नहीं था

विवरणी दाखिल करने के कारण निर्धारिती द्वारा देय

हानि, निर्धारिती दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, भले ही निर्धारिती ने गलत विवरण छिपाए और/या प्रस्तुत किए।

क्योंकि कुछ उच्च न्यायालयों ने विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया, संसद ने अभिव्यक्ति को बदलकर स्थिति स्पष्ट की

" किसी भी 'द्वारा' यदि कोई हो। यह एक मूल संशोधन नहीं था जो

स्थिति को स्पष्ट करता है कि संशोधन स्पष्ट था प्रकृति में और इससे पहले भी सभी आकलनों पर लागू होगा

मूल्यांकन वर्ष 2003-04 "।

41. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विभागीय परिपत्र का भी उल्लेख किया

24.07.1976 , जो खोज के लिए व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक पाया गया था

संशोधित प्रावधान की प्रकृति। तीन न्यायाधीशों की पीठ, पैरा 16 में आगे निम्नलिखित प्रभाव से:

" 16. कानून अच्छी तरह से तय है कि लागू प्रावधान होगा

कानून वैसा ही हो जैसा रिटर्न दाखिल करने की तारीख को मौजूद था।

यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जब कोई नुकसान किसी भी मामले में वापस किया जाता है।

यह आवश्यक नहीं है कि यह पिछले वर्ष [2018] 1 एस. सी. आर. का नुकसान हो।

चिंतित हैं। इसमें कैरी-फॉरवर्ड लॉस भी शामिल हो सकता है जिसे धारा 72 के तहत भविष्य की आय के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

अधिनियम से। इसलिए, विवरणी दाखिल करने की तारीख को लागू कानून केवल नुकसान तक ही सीमित नहीं हो सकता है।

पिछले लेखा वर्ष।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ, पहले के मामलों और निम्नलिखित निष्कर्ष पर दर्ज वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद पैरा 21 में:

" 21. स्थिति होने से ऊपर, अपरिहार्य निष्कर्ष है

कि धारा 271 (1) (सी) का स्पष्टीकरण 4 स्पष्टीकरणात्मक है और मूल नहीं है। आभासी मामले (2007) 9 एस. सी. सी. 665 में इसके विपरीत व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही नहीं है। उपरोक्त मामला भी स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य है और लागू नहीं होता है।

वर्तमान मामले के तथ्यों में। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधन स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के थे, इसलिए पूर्वव्यापी रूप से कार्य करेंगे। 42. राजस्व ने आयकर आयुक्त-III बनाम कलकत्ता निटवियर मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

लुधियाना, (2014) 6 एससीसी 444। उपरोक्त निर्णय पर राजस्व द्वारा इस पूर्व स्थिति के लिए भरोसा किया गया है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है, जबकि एक कराधान क़ानून के मशीनरी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए इसके प्रकट उद्देश्य को प्रभावी बनाना है। पैरा 34 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 34. मशीनरी की व्याख्या करते समय यह अदालत का कर्तव्य है

एक कराधान कानून के प्रावधान इसके प्रकट रूप को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य। जहाँ कहीं भी दायित्व थोपने का इरादा स्पष्ट है,

अदालतों को एक सामान्य समझ का समर्थन करने में संकोच नहीं करना चाहिए

मशीनरी के प्रावधानों की व्याख्या ताकि शुल्क असफल नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मशीनरी के प्रावधान ऐसे ही होने चाहिए।

के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के रूप में समझा गया

कानून और उसी को हराने के लिए नहीं (व्हिटनी बनाम। आई. आर. सी., 1926 एसी 37 (एच. एल.), सी. आई. टी. बनाम। महलिराम रामजिदास, (1940) 8 आई. टी. आर. 442, इंडियन

यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड बनाम। कॉम. अतिरिक्त लाभ कर, (1955) 27 आई. टी. आर. 20 (एस. सी.) और गुरसाहई सहगल बनाम। सी. आई. टी., (1963) 48 आई. टी. आर. 1 (एस. सी.); सी. डब्ल्यू. टी. बनाम। शरवन कुमार स्वरूप एंड संस (1994) 6 एस. सी. सी. 623;

सी. आई. टी वी. नेशनल ताज ट्रेडर्स, (1980) 1 एस. सी. सी. 370; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम। सीटीओ, (1981) 4 एससीसी 578। वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन में फ्रांसिस बेनिओन, 5 वीं संस्करण। , उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में लेक्सिस नेक्सिस को सी. आई. टी. 5 मुंबई v के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

चित्रण कि विधायक द्वारा लगाए गए आरोप के बाद से

प्रक्रियात्मक प्रावधानों को वादियों और अन्य के सामान्य लाभ के लिए छोड़ दिया गया है, यह माना जाता है कि यह लंबित मामलों पर लागू होता है।

साथ ही भविष्य की कार्यवाही।

} }

43. इस पूर्वधारणा पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि कर कानून के तंत्र प्रावधान को अपने प्रकट उद्देश्यों को प्रभावी बनाना है।

लेकिन मशीनरी प्रावधान की प्रयोज्यता चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, सांविधिक योजना की सामग्री और प्रकृति पर निर्भर करती है। उपरोक्त मामले में, न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा था मशीनरी प्रावधान की संभावना या पूर्वव्यापीता, इसलिए उपरोक्त मामला भी वर्तमान मामले में अपीलार्थी की मदद नहीं करता है।

44. आयकर आयुक्त की संविधान पीठ

(मध्य)-I, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप (उपरोक्त) ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, पैरा 36,37 और 39 में निम्नलिखित को निर्धारित किया है:

" 36. सी. आई. टी. वी. में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1633, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कर का भुगतान करने की देयता है

निर्धारण वर्ष की शुरुआत में लागू कानून के अनुसार गणना की जाती है, यानी अप्रैल के पहले दिन, उस तारीख के बाद कर देयता को प्रभावित करने वाले कानून में कोई भी बदलाव, हालांकि निर्धारण वर्ष की मुद्रा के दौरान किया जाता है, जब तक कि विशेष रूप से नहीं किया जाता है। पूर्वव्यापी, उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू नहीं होता है।

संदर्भ का जवाब दें

37. जब हम अधिनियम की धारा 113 में परंतुक को शामिल करने की जांच करते हैं, तो उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि विधायिका का इरादा इसे प्रकृति में संभावित बनाना था। इस परंतुक को घोषणात्मक/वैधानिक या उपचारात्मक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है।

समर्थन में कारण

" 39. पहला और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि क्या धारा 113 के प्रावधान के अभाव में अधिभार लगाने के साथ खंड मूल्यांकन करना संभव था? सुरेश एन. गुप्ता में ही, यह स्वीकार किया गया और स्वीकार किया गया कि अधिनियम की धारा 113 के संशोधन से पहले की स्थिति, जिसके तहत परंतुक जोड़ा गया था, चाहे खंड मूल्यांकन के संबंध में अधिभार देय था या नहीं, पूरी तरह से [2018] 1 एस. सी. आर. था।

अस्पष्ट और अस्पष्ट। न्यायालय ने कहा कि कुछ

मूल्यांकन अधिकारियों ने यह विचार रखा था कि कोई अधिभार नहीं है

लेविएबल। अन्य लोग अधिभार की एक विशेष दर लागू करने में घाटे में थे क्योंकि वे स्पष्ट नहीं थे कि कौन सा वित्त अधिनियम,

ऐसी दरें निर्धारित करना लागू था। यह एक बात है कि सामान्य ज्ञान और यह भी बताया गया है कि अधिभार साल-दर-साल बदलता रहता है। हालांकि, मूल्यांकन अधिकारी उस तारीख के बारे में अनिश्चित थे जिसके संबंध में वित्त अधिनियम में प्रदान की गई दरों को लागू किया जाना था। उनके सामने चार तिथियाँ थीं। : (सुरेश एन. गुप्ता मामला,

(2008) 4 एस. सी. सी. 362, एस. सी. सी. पी. 379 , पैरा 35)

(i) क्या अधिभार उस वर्ष के वित्त अधिनियम में प्रदान की गई दरों के संदर्भ में अधिरोपणीय था जिसमें

खोज शुरू की गई थी; या

((ख) वह वर्ष जिसमें खोज पूरी की गई थी; या ((ग) वह वर्ष जिसमें अधिनियम की धारा 158-बी. सी. के तहत खंड निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी; या

((iv) वह वर्ष जिसमें खंड निर्धारण आदेश पारित किया गया था।

45. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उस नियम 8डी को नए कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2016 द्वारा फिर से संशोधित किया गया है।

निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

[(2) आय के संबंध में व्यय जो नहीं होता है

कुल आय का हिस्सा कुल मिलाकर होगा -

निम्नलिखित राशियाँ, अर्थात्:

((i) आय से सीधे संबंधित व्यय की राशि।

जो कुल आय का हिस्सा नहीं है; और

((ii) वार्षिक औसत के एक प्रतिशत के बराबर राशि।

खुलने और बंद होने के मासिक औसत

निवेश के मूल्य की शेष राशि, जिससे आय होती है

कुल आय का हिस्सा नहीं है या नहीं होगा:

बशर्ते कि खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि द्वारा दावा किए गए कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।

निर्धारिती।] सी. आई. टी 5 मुंबई बनाम एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। टीएचआर। यह प्रबंधक है [अशोक भूषण, जे।]

46. लागू किए गए व्यय की राशि निर्धारित करने की विधि डब्ल्यू. ई. एफ. 24.03.2008 को मंजूरी दी गई है और एक नई विधि दी गई है।

डब्ल्यू. ई. एफ. 02.06.2016 को लागू किया गया है, नियम 8 डी पूर्वव्यापी की व्याख्या करके, 5 वें और 14 वें संशोधन नियमों की प्रयोज्यता में एक संघर्ष होगा जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नियम की एक संभावित संभावना है। संचालन, जिसे एक अन्य पद्धति अपनाकर संभावित रूप से बदल दिया गया है।

47. निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रस्तुतिकरणों में से एक पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धारिती के लिए विद्वान वकील

प्रस्तुत करता है कि यह अच्छी तरह से तय है कि अधीनस्थ कानून आम तौर पर नहीं है

पूर्वव्यापी जब तक कि इसके लिए स्पष्ट संकेत न हों। रिलायंस को झारखंड और अन्य राज्यों में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। बनाम शिव करमपाल साहू, (2009) 11 एस. सी. सी. 453। पैरा 17 में निम्नलिखित कहा गया है:

" 17. आम तौर पर, एक अधीनस्थ कानून नहीं होना चाहिए

संचालन में पूर्वव्यापी होने के लिए माना जाता है। 7-5-2003 दिनांकित परिपत्र पत्र को एक संभावित प्रभाव दिया गया था। के पिता

उत्तरदाता की मृत्यु 19-5-2000 पर हुई। दिखाने के लिए कुछ नहीं है

कि यहाँ तक कि 9-8-2000 दिनांकित परिपत्र भी दिया गया था पूर्वव्यापी प्रभाव। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, राज्य के रूप में

झारखंड ने दिनांक 1 के परिपत्र पत्र में बिहार राज्य द्वारा जारी किए गए पहले के परिपत्र पत्रों को केवल उन मामलों के संबंध में अपनाया जहां झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने की तारीख के बाद मृत्यु हुई थी, उच्च न्यायालय ने हमारी राय में अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव देने में एक गंभीर त्रुटि की जो वह सीधे नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण,

उपरोक्त कारणों से, अस्वीकार्य हैं।

नियम 8 डी में इस प्रभाव का कोई संकेत नहीं है कि नियम 8 डी पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का इरादा रखता है।

48. राजकोषीय कानून की पूर्वव्यापीता की व्याख्या करने के लिए वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करना और धारा 14 ए की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) की प्रकृति और उद्देश्य के साथ-साथ नियम 8 डी के उद्देश्य और आशय को देखने के लिए वित्त विधेयक, 2006 में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

और दिनांकित परिपत्र 28.12.2006 द्वारा परिलक्षित विभागीय समझ, हमारी यह सुविचारित राय है कि नियम 8D का उद्देश्य संचालन करना था

संभावित रूप से।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. यह ध्यान देने योग्य है कि इस अपील में विवादित निर्णय गोदरेज और बॉयस में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर निर्भर करता है।

मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उपायुक्त आयकर, मुंबई और एक अन्य, (2010) 328 आई. टी. आर. 81 (बी. ओ. एम.), जहां बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विस्तार से बाद में

संशोधन की संभावना या पूर्वव्यापीता निर्धारित करने के सिद्धांतों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नियम 8 डी संभावित प्रकृति का है। बंबई उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध दिनांकित 12.08.2010 इस अदालत में एक अपील दायर की गई थी जिसका फैसला गोदरेज और बॉयस मैन्युफैक्चरिंग में रिपोर्ट किए गए उसके फैसले के माध्यम से किया गया है।

धारा 14 ए के अधिकार। निर्णय के पैरा 36 में, इस न्यायालय ने देखा कि प्रावधानों की पूर्वव्यापीता के संबंध में राजस्व ने अपील दायर की थी, इसलिए उक्त प्रश्न को उपरोक्त अपील में नहीं लिया गया था। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से राजस्व द्वारा दायर अन्य अपीलों में निर्णय लेने के लिए पूर्वव्यापीता के प्रश्न को छोड़ दिया। इस प्रकार हम इन अपीलों में नियम 8 डी की पूर्वव्यापीता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े।

50. जैसा कि ऊपर व्यक्त की गई हमारी राय को देखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करना पूरी तरह से टिकाऊ है। जैसा कि ऊपर बताया गया है,

नियम 8 डी संभावित रूप से लागू है और मूल्यांकन वर्ष 2008-09 से पहले किसी भी मूल्यांकन वर्ष पर लागू नहीं किया जा सकता था।

51. नतीजतन, राजस्व द्वारा दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

राजस्व की अपील

खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे